

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर,

निग - 2884-I 16

12016 निगरानी

स. नं. के. डी. 10/10/16 प्रकरण क्रमांक

स आज दि. 20.12.16 को

सुन

स. नं. के. डी. 10/10/16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

SK Singh
P

1. रामकरन पुत्र मोहरमनलाल जाति बघेल, आयु- 60 वर्ष
2. गम्भीरसिंह पुत्र मोहरमनलाल जाति बघेल, आयु- 40 वर्ष
3. महावीरसिंह पुत्र मोहरमनलाल जाति बघेल, आयु- 50 वर्ष
निवासीगण-ग्राम कुटरौली तहसील गोरमी परगना महगाँव, जिला भिण्ड म0प्र0 --आवेदकगण

बनाम

1. महेन्द्र परिहार पुत्र स्व0 माधौसिंह परिहार आयु- 30 वर्ष
निवासी- ग्राम कुटरौली, हाल वार्ड क्रमांक 15, गोरमी तहसील गोरमी परगना महगाँव, जिला भिण्ड म0प्र0 --मूल अनावेदक
2. ज्ञानोबाई बेवा स्व0 माधौसिंह परिहार, आयु- 60 वर्ष
3. रेबू उर्फ मोहनसिंह पुत्र स्व0 माधौसिंह परिहार आयु- 35 वर्ष, निवासीगण- ग्राम कुटरौली,

3

हाल वार्ड क्रमांक 15, गोरमी
तहसील गोरमी परगना महगाँव,
जिला भिण्ड म०प्र०

4. नाथूसिंह पुत्र बद्रीसिंह बघेल
आयु-59 वर्ष
5. केशवसिंह पुत्र नाथूसिंह बघेल
आयु- 40 वर्ष
6. कैलाशसिंह पुत्र नाथूसिंह बघेल
आयु- 35 वर्ष
7. मुन्नेशसिंह पुत्र नाथूसिंह बघेल
आयु- 30 वर्ष

समस्त निवासीगण-ग्राम कुटरौली
तहसील गोरमी, परगना महगाँव,
जिला भिण्ड, म०प्र०

8. म०प्र० शासन जयें कलेक्टर
भिण्ड, जिला भिण्ड म०प्र०

--औपचारिक अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश श्री एस०एल०सोनी
अनुविभागीय अधिकारी मेहगाँव द्वारा जनसुनवाई में
अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत शिकायत पी०जी०
नं० 193742/99 महेन्द्र बनाम शासन के प्रकरण
मे पारित आदेश दिनांक 05/11/2012 के विरुद्ध
अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959




राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2884-दो/16

जिला - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	